संलग्नक - XIV

ए डी हाइड्रो पावर लिमिटिड

कारपोरेट कार्यालय
भीलवाड़ा टावर्स, ए-12, सैक्टर-1, नोएडा -201301 एन सी आर-दिल्ली (भारत)
दूरभाष : 91-120-2541810 (ई पी ए बी एक्स) फैक्स 91-120-2531648/2531745
ई मेल- एलएनजेपावर@भीलवाड़ा इन्फो.कॉम

एडीएचपीएल/एचओ/22 दिनांक - 10/10/2003

सेवा में,

भूकंप इंजीनियरिंग विभाग,
इडियन इन्सटीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, रूड़की,
रूड़की - 247667

ध्यानाकर्षण : डा० एस बसुः प्रौफेसर एवं विभागाध्यक्ष भूचाल इन्जीनियरिंग विभाग, इडियन इन्सटीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, रूड़की.

विषय : 192 मेगावाट ऐैलाइन दुहंगन जल विद्युत परियोजना, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश की **"साइट स्पैसिफिक डिजाइन अर्थक्वैक पैरामीटर"** के कार्य के लिए हमारा कार्य आदेश।

महोदय,

आपके पत्र सं० ई क्यू डी/मनाली/248 दिनांक 18-09-03 के संदर्भ में हमें ऐैलाइन दुहंगन जल विद्युत परियोजना का "साइट स्पैसिफिक डिजाइन अर्थक्वैक पैरामीटर" का कार्य निम्नलिखित शर्तो पर आपको अवार्ड करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. **कार्य क्षेत्र**

   हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले में मनाली के निकट ऐैलाइन दुहंगन जल-विद्युत परियोजना के लिए "साइट स्पैसिफिक डिजाइन अर्थक्वैक पैरामीटर" का आयोजन करना कार्य क्षेत्र है।

2. **ड्राइंगेंः**

   अपेक्षित ड्राइगें तथा डाटा संलग्न है।

3. **समय सारणी**

कार्य पूरा करने की समय अवधि आठ महीने होगी तथा किसी भी परिस्थिति में कार्य पूरा करने के समय को बढ़ाया नहीं जाएगा।

4. **दरें तथा कार्य का मूल्यः**

कार्य का मूल्य 4.00 लाख रूपए (रूपए चार लाख मात्र) है। रू 4.0 लाख पर एक मुश्त 8 प्रतिशत की दर से सेवा कर अतिरिक्त दिया जाएगा।

5. **भुगतान**

आपको 8 प्रतिशत सेवा कर सहित (रूपये चार लाख) की पूरी राशि का भुगतान अग्रिम किया जाएगा।

6. **मौसमः**

मनाली तथा ऐलाइन दुहंगन जल-विद्युत परियोजना के विभिन्न स्थलों /स्थानों पर मौसम परिस्थितियां अत्याधिक है। दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में मनाली का न्यूनतम तापमान - 7° सै0 पाया गया है।

7. **मध्यस्थताः**

ठेके से संम्बधित या इसके संम्बन्ध में पार्टी के बीच उठने वाले सभी विवाद कलहों या मतभेदो को, जिनके बारे में अन्तर अंतिम या निर्णायक नहीं होगें, को मध्यस्थता के लिए या निम्नलिखित तरीके से एकल मध्यस्थ को भेजे जाएगेंः

1) ऐसे प्रश्न, विवाद या मतभेद के होने पर पार्टियों में कोई भी दूसरे को लिखित में सूचना दे सकता है।

2) किसी भी पार्टी से ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर ऐसे मतभेद के समय कार्य-प्रभारी-अभियन्ता, ठेकेदार को तीन व्यक्तियों का एक पैनल भेजेगा तथा उसके बाद ऐसा पैनल प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर ठेकेदार कार्य प्रभारी अभियन्ता को एक व्यक्ति का नाम सूचित करेगा जिसे भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940, मध्यस्थता एवं निपटारा अधिनियम, 1996 द्वारा यथासशोंधित तथा समय-समय पर इसके सशोंधनों/परिवर्तनों के लागू नियमों के अर्न्तगत एकल मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

८. कर एवं देयताएं

कार्य आदेश में उल्लेखित अतिरिक्त सभी अन्य करों को विशेषज्ञ के खाते में डाला जाएगा।

धन्यवाद,
भवदीय,
ऐलाइन दुहंगन जल–विद्युत लिमिटेड के लिए तथा की ओर से

ह०
(वी०पी०एस० चौहान)
परियोजना प्रभारी

कृपया कार्य आदेश को आपकी स्वीकार्यता के रूप में दूसरी प्रति पर हस्ताक्षर करके लौटा देवें।

हस्ताक्षरः
पताः